नियम व शर्ते

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर एतद् द्वारा खण्ड के एक कलस्टर की 6 ग्राम पचांयतो, आजमाबाद मौखुताए बाहमनवास नौ, नारेहड़ी, निजामपुर, नापला व रोपड़ सराय में स्थित सभी रिहायशी, वाणिज्यक, औधौगिक, सरकारी, पचांयती व अन्य प्रकार के स्थानो से कुड़ा–कर्कट (डोर टू डोर) प्रतिदिन संग्रह तथा स्रोत पर ही गीले व सुखे कुड़े का सग्रह, परिवहन, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटान करने एवं गॉव के सभी कुड़ा सग्रंह केन्द्रो, गली, सड़को, डस्टबीनो, नालों, नालियों आदि से निकाली गई सिल्ट, पार्कों व खाली प्लाटों का कुड़ा, मलबा इत्यादि अर्थात सभी प्रकार का कूड़ा (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) को प्रतिदिन उठाने व निस्तारण करने एवं गन्तव्य स्थान पर पहुचाने व (डोर टू डोर) सड़को, गलियो, पार्कों, खाली प्लाटों, मार्किट्स व नालों की सफाई और सफाई उपरान्त एकत्रित कुड़ा–कर्कट को कुड़ा सग्रंह केन्द्रों तक पहुँचाने व जानवर (कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चुहा इत्यादि) निस्तारण करने हेतु खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के लिये सेवाप्रदाता के तौर पर सभी प्रतिष्ठित इच्छुक फर्मो/एजेंसीयो/ कंपनीयों/ठेकेदारो/ सहकारी समितियों कों आमंत्रित करती है।

1. नियम व शर्तो का विवरण वेबसाइट **http://mahendragarh.gov.in** पर उपलब्ध है तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर कार्यालय में भी उपलब्ध है॥
2. निविदा के साथ मु0 125000.00 रूपये धरोहर राशि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के पक्ष में केवल डी0डी0/बैंकर चैक/डी0ए0सी0 के रूप में ही मंजूर की जायेगी। धरोहर राशि की हार्ड कॉपी Technical Bid के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है। ऐसा न करने की सुरत में सम्बन्धित एजैन्सी/फर्म की Financial Bid नहीं खोली जायेगी।
3 खण्ड निजामपुर के एक कलस्टर की 6 ग्राम पंचायतों, आजमाबाद मौखुताए बाहमनवास नौ, नारेहड़ी, निजामपुर, नापला व रोपड़ सराय ग्राम पंचायतों के **क्षेत्र** में रिहायशी मकानों/वाणिज्य स्थ्लो/दुकानों से सरकारी व सार्वजनिक स्थलों आदि से प्रतिदिन कुडा करकट(NSW) संग्रह व स्त्रोतपर ही गिले व सुखे कुडे Segregation एंव **निस्तारण करना** एंव नालों, नालियों की सिल्ट, सडकों गलियों से कुडा मिटटी, मल्बा, कुडा कलेक्शन पवाईन्टों, डस्टबिनों व खाली प्लाटों का कुडा कचरा से अर्थात सभी प्रकार का कुडा कर्कट बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर प्रतिदिन उठाकर चिन्हित स्थानो पर निस्तारण करना
4. सेवाप्रदाता को अपशिष्ट/कुडा कर्कट उठाने एंव निर्दिष्ट स्थान पर विस्तारण करने के लिए अपने स्वयं के स्तर पर पर्याप्त मात्रा में सभी श्रम, स्टाफ, उपकरण जैसे टोकरी, बेलचा, बाल्टी, कस्सी, रिक्शा रेहडी वाहनों को प्रबंध करना होगा।
5. नियुक्त किये ये स्टाफ/श्रम को हरियाणा राज्य के कानुन के अधीन लागू नियमों के प्रावधानों अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान करना होगा एंव सेवा प्रदाता, ईपीएफ/ईएसआर्द, ग्रेच्युटी/वेतन/भते से स्म्बन्धित कानुन के सभी प्रावधानों के अनुसरण में बाध्य होगा एंव खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर सेवा प्रदाता की और से कानून के किसी भी प्राधान का उल्लघन करने का जिम्मेवार नही होगा।

6. सेवाप्रदाता अपशिष्ट/कुडा–कर्कट प्रतिदिन उठाने के लिए बाध्य होगा एंव किसी भी तरह के उल्लघन के मामले में सेवाप्रदाता दंडनीय होगा जा सेवा प्रदाता द्वारा मान्य होगा तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के पास सेवाप्रदाता द्वारा बार–बार कुडा–कर्कट/अपशिष्ट संग्रह व न उठाने जाने के मामले में जमानत राशि जब्त करके सेवा को खत्म करने का अधिकार सुरक्षित है। सेवा प्रदाता को कोई क्लेम करने को हक नही होगा।
7. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के पास सेवाप्रदाता द्वारा कोई भी उल्ल्घन किये जाने के मामले में अन्य किसी सेवाप्रदाता को कार्य सौपने का अधिकार सुरक्षित है एंव अन्य प्रबंध सेवाप्रदाता की जोखिम एंव लागत पर किया जाएगा।
8. सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त किये गए कर्मचारी/श्रमिकों के पा स खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, निजामपुर के कर्मचारी होने का दावा करने का अधिकार आरक्षित नही है एंव सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त श्रर्मिकों/स्टाफ को वर्दी उपलब्ध करवानी होगी ताकि जनता उन्हे पहचान सकें। वह सेवाप्रदाता की और से कार्य करने के लिए उपलब्ध है। कर्मचारियों/श्रमिकों के पास अपने सेवाप्रदाता द्वारा दिए गया पहचान कार्ड होना जरूरी है।यदि निरिक्षण के समय कोई भी कर्मचारी बिना वर्दी के पाया जाता है तो 50 रूपये प्रति दिन प्रति कर्मचारी जुर्माना होगा, जो बिल से काट लिया जाएगा।
9. किसी समय वाहन के खराब हो जाने के मामलों में सेवाप्रदाता को तत्काल वैकल्पिक वाहन की वयवस्था करनी होगी।
10. ठेकेदार/सेवाप्रदाता को सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट/कुडा–कर्कट पूरी तरह से डठा लिय गया है एंव अपशिष्ट/कुडा–कर्कट को जलाने की आज्ञा नही है तथा इसी प्रकार से बायेमेडिकल वकस्ट का (MSW) के साथ मिश्रण करने की आज्ञा नही है।
11. सेवाप्रदाता को निर्दिष्ट स्थान में अपशिष्ट/कुडा–कर्कट संग्रहित करने व उठाने के लिए न्युन्तम दर प्रतिमाह कोट करना हेगा, जिसमें सभी खर्च, चार्ज, उठाने के लिए उपलब्ध श्रम एंव उदेश्य के लिए प्रयोग किये गए उपकरण वस्तुओं सहित वाहन के माध्यम से ढुलाई सम्मलित है।
12. किये जाने वाले सभी भुगतान आईटी अधिनियम व सरकारी नियमों के अधीन स्त्रोत में कर की कटोटी के प्रावधानो के आधार पर होगें।
13. प्रस्तावित दर एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी एंव ठेकेदार/सेवाप्रदाता श्रमिकों की लागत बढाए जाने पर अथवा कीमतों की वृद्धि होने पर सेवा को समाप्त नही कर सकेगा।
14. सेवाप्रदाता सटाफ जिन्हें उदेश्य हेतु नियुक्त किया जायेगा के सम्बन्ध में कानूनों के सभी प्रावधानों के अनुसरण के अनुवर्ती हेतु जिम्मेवार एंव बाध्य होगा।
15. कुडे–कर्कट की ढुलाई एंव ईक्ठठा करने के लिए प्रयोग होने वाले वाहन/उपकरण के लिए पार्किग स्थान का प्रबन्ध सेवाप्रदाता को सवयं करना होगा।
16. सेवाप्रदाता को घर–घर से कूड़ा सग्रंहित करने व कूड़ा लिफटिगं का नगर निगम /परिषद/पालिका / किसी सरकारी विभाग मं` लगातार 03 वर्षों मे ` कम से कम 2 टी. पी.डी.का अनुभव होना चाहिए। फर्म/एजेंसी/ठेकेदार द्वारा उक्त प्रकार का पिछले 3 वर्षो में प्रोजेक्ट मूल्य का 40 प्रतिशत औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। सेवाप्रदाता को प्रोजैक्ट की समझ हो। अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और पृथक्करण के लिए उचित दृष्टिकोण

और पद्धति से नये विचार के साथ कचरे के वैज्ञानिक निपटान या प्रसंस्करण के उपाय प्रयोग में लाए।

17. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर बिना कारण बताये किसी अथवा सभी निविदा को रद्व/अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होगा।
18. सेवाप्रदाता को गत 3 वर्षो के वार्षिक टर्न ओवर की आडिट व सतयापित बैलेंस शीट की प्रति साथ लगानी होगी।
19. सेवाप्रादाता को पेन संख्या, ईपीएफ/ईएसआई श्रम लाइसेन्स, सेवाकर GST No. एंव फर्म/कर्मचारियो/एजेंसियो/ठेकेदारों/समिति पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति साथ लगानी होगी।
20. सेवाप्रदाता किसी अन्य को ठेके का कार्य सबलैट नही करेगा। यदि ऐसा करता है तो ठेका रद्व कर दिया जायेगा॥
21. सेवाप्रदाता को बिल की अदायगी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर द्वारा बनाई गई कमेटी की सन्तुष्टी रिर्पोट उपरान्त की जायेगी।।
22. सेवाप्रदाता जो कर्मचारी लगायेगा उनकी न्युन्तम आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए॥
23. ठेके के कार्य में प्रयोग होन वाले वाहनों की सूचि नियुक्त सुपरवाईजरो, कर्मचारियों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सचूी व कर्मचारियों के पहचान पत्रों की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
24. सेवाप्रदाता खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य करेगा।
25. ठेके का इकरारनामा की शर्तो व अन्य कार्यो पर मतभेद होन पर माननीय जिला विकाए एंव पंचायत अधिकारी, नारनौल आरबीट्रेटर होगें। जिनका फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा।
26. सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कुडा डिस्पोजल करने के साधन (वाहन) ढके हुए होने चाहिए।
27. सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना/हादसा, सफाई कार्य में ट्रैफिक अडचन प्राकृतिक दुर्घटना, झगडा किसी भी प्रकार की समस्या कार्य में बाधा सेवा प्रदाता की स्वयं की जिम्मेवारी होगी॥ खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर या सम्बधिंत ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
28. घर–घर से कूडा उठाने का कार्य गर्मियों में प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक व सायः 3 बजे से 6 बजे तक और सर्दियों में 7 बजे से 12 बजे तक व सायः 2 बजे से 5 बजे तक होगा।
29. सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिदिन घर–घर से व कलेक्शन पवाईन्टों, डस्टबिनो से कुडा–संग्रह करके निस्तारण करना होगा तथा डस्टबिन के बाहर पडा हुआ कुडा कचरा डस्टबिन के अन्दर डालना होगा। प्रत्येक पवाईन्ट से कुडा उठाने के पश्चात वहा की सफाई करवाकर प्रतिदिन चुना/बलीचिंग पाउडर डालना होगा।
30. सेवाप्रदाता को कच्चे व मेन नालो की सफाई करवानी होगी।
31. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर को किसी भी समय जनहित में शर्तों में संसोधन करने का अधिकार होगा।।

32. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर या ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले डस्टबिनों का रखरखाव (मरम्मत व पेन्ट आदि) सेवाप्रदाता द्वारा किया जाएगा। सेवाप्रदाता उक्त कार्य नही करता है तो खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने स्तर उक्त कार्य करवायेगा। उस पर आने वाले खर्च बिल की राशि से काट लिया जाएगा।
33. सेवाप्रदाता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिन के बाद कूड़ा उठान जगह की पहचान और बेंचमार्किंग 100 प्रतिशत करनी होगी। कार्य न होने पर प्रति ग्राम पंचायत प्रतिदिन 100 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़े का उठान व परिवहन 24 घंटे में न होने पर प्रतिदिन 500 रूपये प्रति कूड़ा सग्रंह जुर्माना लगाया जाएगा। समझोते पर हस्ताक्षर होने उपरान्त तीसरे माह तक 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रण न होने पर कुल बिल का 2प्रतिशत जुर्माना स्वरूप बिल को घटा दिया जाएगा। जैव अपशिष्ट के आधार पर ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण न होने पर 8000 रूपये प्रति माह प्रति ग्राम पंचायत जुर्माना लगाया जाएगा। सेवाप्रदाता द्वारा तीन माह के अन्दर आई.ई.सी. गतिविधियो ं के माध्यम से स्रोत पर कूड़ा पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा, 70 प्रतिशत से कम पाने पर कुल बिल के 2 प्रतिशत को जुर्माना स्वरूप घटा लिया जाएगा। शिकायत प्राप्त के 48 घंटो के अन्दर 5 प्रतिशत से अधिक का निवारण न होने पर बिल चालान से 5 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। **यदि फिर भी शतों की उल्लघना की गयी तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा।**
34. सरपंच को 2000/–रू0, ग्राम सचिव को 5000/–रू0 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर को नियमानुसार कितना भी जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
35. सेवाप्रदाता द्वारा सभी 6 ग्राम पंचायतों में शिकायत केन्द्र खेलने होगें। शिकायत केन्द्र में शिकायत रजिस्टर भी लगाना होगा। शिकायत केन्द्र पर टेलिफोन सुविधा भी देनी होगी। शिकायत केन्द्रो पर उपलब्ध दूरभाष नम्बर सार्वजनिक करना होगा। शिकायत केन्द्र प्रातः 7 बजे से सायः 6 बजे तक खुला रखना होगा। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर कार्यालय को प्राप्त सम्बधिंत ग्राम पंचायतों की शिकायत/ सी.एम. बिण्डों शिकायत/ उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतो ं का प्रतिदिन निपटान करके रिर्पोट कार्यालय में प्रस्तुतकरनी होगी।
36. **अगर निरक्षण के दौरान शिकायत केन्द्र बन्द पाया जाता है तो** 1500/- **प्रति दिन के** हिसाब **से जुमाना लिया जायेगा जों बिल सें काट लिया जाएगा।**
37. ठेकेदार को डिस्पोजल स्थान (कूडा डम्पिंग साइट) का लेवल प्रतिदिन कराना होगा व डम्पिगं सार्डट में गढ़े खोदकर कूड़ा–कर्कट गढों में डालना होगा व दवाई का छिड़काव करवाकर उपर मिट्टी से लेवल करवाना होगा।
38. ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसमें पहले दो मास की अवधि ट्रायल आधार पर होगी। हद इस अवधि मे कार्य सन्तोषजनक पाया जाता तो अवधि बाकि समय के लिए बढा दी जायेगी।
39. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को नियम व शर्तों के अनुसार 100/– रूपये के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट 15 दिन के अन्दर–अन्दर करना होगा। जिसकी जिम्मेवारी सेवाप्रदाता की होगी।

40. घर–घर से कुडा संग्रह एंव ग्राम पंचायतों से कुडा उठाने का कार्य राजकीय अवकाश वाले दिन वी0आई0पी0 के आगमन पर Day /Night भी करना होगा|इस कार्य के बिल की अदायगी अलग से नहीं की जायेगी।
41. कुडा लिफटिंग का कार्य सुबह 7:00 बजे से साय 7:00 बजे तक करना होगा॥
42. ठेकेदार माकन मालिक की सहमति से कुडा कर्कट लेगा। कुडा देने के लिए बाध्य नही करेगा और ना ही जबरन वसुली करेगा। ऐसी शिकायत मिलने पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।।
43. सम्बधिंत ठेकेदार ई–निविदा के साथ–साथ तकनीकी योग्यता के सभी दस्तावेज प्रमाणित करके खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय निजामपुर में जमा करवाने होगें।
44. कूड़ा उठाने के लिए लगाएं जाने वाले ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य वाहन 10 वर्ष पुराने नही होने चाहिए व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं नवीनतम बीमा की प्रति तकनीकी बीड के साथ सलंग्न करनी होगी। सभी वाहनो, रिक्सा–रेहड़ी पर स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का लोगो लगाना होगा। ठेकेदार कुड़ा उठाने वाले साधनों पर जी.पी.एस डिवाईस लगवाना सुनिश्चित करेगा।
45. घर–घर से कूड़ा सग्रंह करने के वाहनो/ संसाधनों में 3 पार्ट गीले, सुखे व hazard waste (जैसे काँच, सेविंग ब्लेड इत्यादि) हेतु होने चाहिए। सुखे कूड़े के पार्ट पर नीला रंग व गीले कूड़े के पार्ट पर हरा रंग व hazard waste के पार्ट पर लाल रंग किया होना चाहिए तथा साथ ही गीला कूड़ा, सुखा कूड़ा व hazard waste लिखना होगा।
46. कूड़ा लिफटिगं के वाहनों/साधनों पर भी उक्त शर्त्तानुसार होना चाहिए।
47. सेवाप्रदाता को गीले व सुखे कुड़े का छटांव (Sagrigation at source) प्रथम स्रोत पर ही करना होगा। गीला कुड़ा कम्पोस्ट साईट तक पहुँचाना होगा। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट साईट व डंपिग साईट पर भी Segregation करना होगा।
48. ठेका स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर के पास होगा।
49. सरकार/प्रशासन द्वारा समय–समय पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित की जाने वाली वर्कशाप में उसके द्वारा नियुक्त स्टॉफ को भाग लेना होगा और वर्कशाप मे दिये गये निर्देश/सुझाव के अनुसार कार्य करना होगा।
50. सेवाप्रदाता को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशानुसार की अनुपालना में कार्य करना होगा।
51. सेवाप्रदाता द्वारा जमा करवाई गई सिक्योरिटी संतोषजनक ठेका समाप्ति उपरान्त बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
52. सेवाप्रदाता द्वारा ग्राम पचांयतों में किसी वी0आई0पी0 के आगमन पर मुख्य सडको, चौराहो पर चुना आदि डलवाना होगा।
53. निविदा के रेट मासिक आधार पर सभी करों (टैक्स) जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाते है सहित Quote करने होंगे।
54. सशर्त निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।
55. सेवाप्रदाता को नाईट स्वीपिंग का कार्य भी करवाया जा सकता है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं दिया जायेगा।

56. सेवाप्रदाता द्वारा कूड़ा चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर डालता हुआ पाया गया तो प्रति चक्कर प्रतिदिन 2000 रूपये जुर्माना होगा जो बिल की राशि से काट लिया जाएगा।
57. यदि सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कोई स्कीम व पॉलिसी लागू की जाती है तो सेवाप्रदाता व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को मान्य होगी।
58. सेवाप्रदाता द्वारा हरियाणा के ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के हिदायतो अनुसार व इन हिदायतो की अनुपालना के मामले में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 06.03.2019 ओ.ए. न0 606/2018 के अनुसार कूड़े का सग्रह, परिवहन, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटान करना होगा।
59. सेवाप्रदाता को सभी वाहनो का रूट चार्ट व समय सारणी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपरु को उपलब्ध करवानी होगी।
60. सेवाप्रदाता द्वारा लगाया गया कोई भी कर्मचारी किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस कर्मचारी को कार्य से हटाना होगा।
61. सेवाप्रदाता द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारियों का नियमानुसार ई.पी.एफ. व ई.एस.आई जमा करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी सेवाप्रदाता की होगी।
62. सेवाप्रदाता को उस द्वारा रखे गए सभी कर्मचरियों को वेतन की अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनके बैंक खाते खुलवाकर करनी होगी। इस सम्बंध में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
63. एजेंसी को सभी सुरक्षा सम्बन्धी मापक/ उपकरण मुहैया करवाने होगें व अन्य कर्मचारी से सम्बधिंत हादसो के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।
64. किसी भी नियम, माडे ऑफ पैमेन्ट व ग्राम पचांयतों के हितों के कारणं शर्तो में बदलाव का अधिकार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, निजामपुर को होगा।
65. Defacement सम्बधिंत दिए गए कार्य करने होगें।
66. सेवाप्रदाता हरियाणा के ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अनुसार यूजर चार्ज प्राप्त कर सकेगा व यूजर चार्ज से प्राप्त राशि कुल बिल से कटोती कर दी जाएगी।
67. ठेकेदार/एजेंसी अपनी कार्यप्रणाली/ प्रौघोगिकी तथा सेवाएं के लिए आवश्यक उपकरणों का विवरण प्रस्तुत करेगे। ठेकेदार/एजेसी कार्यक्षेत्र का सर्वेक्षण करें व सावधानीपूर्वक अध्ययन और मूल्यांकन के बाद ही एक्सन प्लान जमा करवाना सुनिश्चित करेगा।
68. अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बाद उत्पाद/ जैव उत्पाद की बिक्री से राजस्व प्राप्त करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। कम्पोस्ट साईट की देख–रेख सेवाप्रदाता द्वारा करनी होगी।

-Sd-

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
खण्ड निजामपुर।